2017/00541

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री माधोसिंह पुत्र स्व. श्री केशुसिंह रजपूत निवासी राजपूत भटियों का मौहल्ला शिवबाडी, बीकानेर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलादार (राजस्व), बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 271/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट,2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.17	**: निर्णय :** 1. पत्रावली पेश हुई। ना तो अपीलार्थी उपस्थित है एवं ना ही प्रत्यर्थी की तरफ से कोई उपस्थित है। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 09.10.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी, एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर से चाही गई थी। वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलवाये जाने का निवेदन किया। 3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), बीकानेर ने जवाब क्रमांक 4714 दिनांक 22.11.17 में वर्णित किया है कि अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में संवत् 2056 की ग्राम शिवबाडी की जमाबंदी की प्रति चाही है। ग्राम शिवबाडी की अंतिम जमाबंदी सम्वत् 2045 की है, जो वर्तमान में चालू है। संवत् 2056 की शिवबाडी की नकल दिया जाना संभव नहीं है। प्रस्तुत जवाब की प्रति अपीलार्थी को जरिये डाक प्रेषित की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी जवाब से संतुष्ट है। 5. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official